

न्यायालय:-श्रीष कौलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

आप.प्र.क. क.-695 / 2016

संस्थित दिनांक-22.07.2016

फाईलिंग नं.-3007352016

सी.एन.आर. नंबर-एम.पी-50050007722016

केस नंबर-आर.सी.टी-3005362016

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-बैहर,
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियोजन

// विरुद्ध //

मदनसिंह पिता फूलसिंह तेकाम, उम्र-25 साल, जाति गोंड,
 निवासी-ग्राम मदनपुर, थाना बैहर, जिला-बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — आरोपी।

// निर्णय //

(आज दिनांक-14/09/2016 को घोषित)

1— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-25.06.2016 को सुबह करीब 08:00 बजे थाना बैहर क्षेत्रांतर्गत फरियादी के घर ग्राम मदनपुर में आहत सायत्रीबाई को कुल्हाड़ी से दाहिने हाथ में मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की।

2— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी सायत्रीबाई ने दिनांक-25.08.2016 को पुलिस थाना बैहर आकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि सुबह लगभग 8:00 बजे उसका पुत्र मदनसिंह खाना खाने बैठा था तभी उसकी पुत्री लक्ष्मीबाई ने बोला की वह जल्दी खेत चला जावे और वह खाना खेत पर लाकर दे देगी। इस बात को लेकर मदनसिंह लक्ष्मीबाई को कुल्हाड़ी से मारने दौड़ा तो उसने बीच बचाव किया तो आरोपी ने उसे दाहिने हाथ की कलाई पर मार दिया, जिससे उसे कटकर खून निकला। उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी मदनसिंह के विरुद्ध अपराध क्रमांक-135/2016, धारा-324 भा.दं.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा आहत सायत्रीबाई का मेडिकल परीक्षण कराया गया, पुलिस ने अनुसंधान के दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा बनाया, गवाहों के कथन लेखबद्ध किये तथा आरोपी से घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी जप्त की। पुलिस द्वारा आरोपी मदनसिंह को गिरफ्तार किया गया तथा सम्पूर्ण विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी का अभियुक्त परीक्षण धारा-313 द.प्र.सं. के तहत किए जाने पर उसने अपने कथन में स्वयं को निर्दोष व झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है तथा बचाव में कोई साक्ष्य पेश नहीं की है।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी मदनसिंह द्वारा दिनांक-25.06.2016 को सुबह करीब 08:00 बजे थाना बैहर क्षेत्रांतर्गत फरियादी सायत्रीबाई के घर ग्राम मदनपुर में आहत सायत्रीबाई के साथ मारपीट की गई ?
2. क्या आरोपी मदनसिंह द्वारा उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आहत सायत्रीबाई को कुल्हाड़ी से दाहिने हाथ में मारा था ?
3. क्या आरोपी मदनसिंह का उक्त कृत्य स्वेच्छया किया गया था ?
4. दण्डादेश यदि कोई हो तो ?

विचारणीय बिन्दु 1 व 2 का निष्कर्ष :-

5— सुविधा की दृष्टि से एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के उद्देश्य से दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

6— अभियोजन साक्षी सायत्रीबाई अ.सा.1 जो प्रकरण में आहत भी है ने कहा है कि आरोपी मदनसिंह उसका पुत्र है, इसलिए वह उसे पहचानती है। आरोपी की पहचान को लेकर कोई विसंगति नहीं है, क्योंकि अभियोजन साक्षी लक्ष्मीबाई अ.सा.2, ज्योति अ.सा.3 तथा फूलसिंह अ.सा.4 ने कहा है कि वे आरोपी मदनसिंह को वह पहचानते हैं, आरोपी उनके परिवार का सदस्य है। फरियादी सायत्रीबाई अ.सा.1 ने कहा है कि खाना देने के बात को लेकर आरोपी मदनसिंह से मौखिक विवाद हुआ था, जिसकी रिपोर्ट उसने पुलिस थाना बैहर में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 है, जिस पर उसने अंगूठा निशान लगाया था। अभियोजन साक्षी सायत्रीबाई अ.सा.1 के कथनों का समर्थन साक्षी लक्ष्मीबाई अ.सा.2, ज्योति अ.सा.3, फूलसिंह अ.सा.4 ने किया है और कहा है कि खाना देने की बात पर आरोपी मदनसिंह का सायत्रीबाई से मौखिक विवाद हुआ था, जिसकी रिपोर्ट उसने पुलिस थाना बैहर में की थी।

7— उपरोक्त अभियोजन साक्षी का समर्थन साक्षी ख्यालसिंह वरकड़े अ.सा.6 ने भी किया है और कहा है कि दिनांक-25.06.16 को वह थाना बैहर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। घटना में विवेचना उसके द्वारा की गई थी। विवेचना में उसने फरियादी

सायत्रीबाई अ.सा.1, लक्ष्मीबाई अ.सा.2, ज्योति अ.सा.3 के बयान लेख किये थे। प्रकरण में अभियोजन साक्षी सायत्रीबाई अ.सा.1 ने कहा है कि आरोपी उसका पुत्र है और खाना देने की बात पर से उसका मौखिक विवाद हो गया था। यही कथन अभियोजन साक्षी लक्ष्मीबाई अ.सा.2, ज्योति अ.सा.3 एवं फूलसिंह अ.सा.4 ने भी अपने न्यायालयीन परीक्षण में किया है। उपरोक्त अभियोजन साक्षियों को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही भी घोषित किया गया है। सायत्रीबाई अ.सा.1 ने पुलिस रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 तथा पुलिस कथन प्रदर्श पी-4 में आरोपी द्वारा कुल्हाड़ी से घटना दिनांक को मारपीट किये जाने वाली बात लेख कराए जाने से स्पष्टतः इंकार किया है। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी लक्ष्मीबाई ने पुलिस कथन प्रदर्श पी-5, ज्योति के पुलिस कथन प्रदर्श पी-6 में आरोपी द्वारा मारपीट किये जाने की बात से इंकार किया है। उपरोक्त स्थिति में अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य से यह प्रमाणित हो रहा है कि घटना दिनांक को फरियादी सायत्रीबाई के साथ आरोपी का मौखिक विवाद हुआ था। आरोपी द्वारा फरियादी सायत्रीबाई के साथ मारपीट नहीं की गई थी।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक-3 का निष्कर्ष

8— अभियोजन साक्षी ख्यालसिंह वरकड़े अ.सा.6 ने कहा है कि उसने प्रकरण में विवेचना की कार्यवाही की थी। उसने आरोपी मदनसिंह से गवाह फूलसिंह एवं सायत्रीबाई के समक्ष लोहे के पट्टे की कुल्हाड़ी जप्त की थी। जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-3 है, जिसके ए से ए भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। उपरोक्त विषय में उसने आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-8 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। साक्षी ख्यालसिंह वरकड़े के कथनों का समर्थन अभियोजन साक्षी सायत्रीबाई अ.सा.1 ने नहीं किया है और कहा है कि जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-3 पर उसने पुलिसवालों के कहने पर अंगूठा लगाया था। अभियोजन साक्षी फूलसिंह अ.सा.4 ने कहा है कि उसने प्रदर्श पी-3 पर पुलिसवालों के कहने पर हस्ताक्षर कर दिए थे, परंतु उसके सामने आरोपी से कुल्हाड़ी व डण्डा जप्त नहीं किया गया था। घटना में विवेचना अधिकारी ख्यालसिंह वरकड़े अ.सा.6 द्वारा यह कहा गया है कि आरोपी के आधिपत्य से कुल्हाड़ी जप्त की थी, जिससे की आरोपी ने फरियादी को स्वेच्छया उपहति कारित की थी, परंतु स्वतंत्र साक्षी सायत्रीबाई अ.सा.1, फूलसिंह अ.सा.3 ने विवेचक द्वारा की गई कार्यवाही का समर्थन नहीं किया है और कहा है कि उन्होंने जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-3 पर पुलिसवालों के कहने पर हस्ताक्षर किये थे। ऐसी स्थिति में विवेचक द्वारा की गई कार्यवाही पूर्णतः प्रमाणित नहीं मानी जा सकती।

9— फरियादी सायत्रीबाई अ.सा.1 ने मौखिक विवाद होने का कथन अपने न्यायालयीन परीक्षण में किया है। शेष अभियोजन साक्षी ज्योति अ.सा.3 व लक्ष्मीबाई अ.सा.2 ने भी आरोपी के द्वारा मौखिक विवाद किये जाना अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट

किया है। ख्यालसिंह वरकड़े अ.सा.6 विवेचक द्वारा प्रकरण में विवेचना की गई है और यह कहा गया है कि उसने गवाहों के बयान लेख किये थे, जिसमें गवाहों ने बताया था कि फरियादी ने आरोपी को कुल्हाड़ी से मारा था।

10— प्रकरण में अभियोजन द्वारा चिकित्सक साक्षी हरीश मरकाम अ.सा.5 का भी परीक्षण कराया गया है। साक्षी ने कहा है कि वह दिनांक-25.06.2016 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को प्रधान आरक्षक सालिकराम मरावी कमांक-181 थाना बैहर के द्वारा सायत्री पति फूलसिंह टेकाम, उम्र-55 वर्ष, निवासी ग्राम मदनपुर, थाना बैहर को मुलाहिजा हेतु उसके समक्ष लाया गया था। मुलाहिजा करने पर उसने आहत के शरीर पर एक कटा-फटा घाव, जिसका आकार 2 गुणा एक गुणा आधा इंच था, जो कि मरीज के दाहिने हाथ के दाएं हाथ में पाया था। उसके अभिमत में उक्त चोट कड़ी एवं बोथरी वस्तु से आना प्रतीत हो रही थी, उक्त चोट सामान्य प्रकार की थी, जिसकी अवधि 6 घंटे के भीतर की थी। उसके द्वारा आहत को आई चोट के संबंध में क्यूरी रिपोर्ट में अभिमत दिया गया था कि उक्त चोट कुल्हाड़ी से आना संभव है। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-7 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि आहत को आई चोटें किसी खुरदुरी एवं कड़ी सतह पर गिरने से आ सकती थी। प्रकरण में स्वयं आहत/फरियादी सायत्रीबाई ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि उसका आरोपी से मौखिक विवाद हुआ था। आरोपी ने कुल्हाड़ी से मारपीट नहीं की थी। ऐसी स्थिति में आरोपी ने कुल्हाड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया आहत सायत्रीबाई को चोट कारित की थी, यह बात संदेह से परे प्रमाणित नहीं हो रही है।

विचारणीय प्रश्न कमांक-4 का निष्कर्ष

11— उपरोक्त विवेचना के आधार पर आरोपी द्वारा कुल्हाड़ी को जो कि धारदार हथियार है को आयुध के रूप में प्रयोग करते हुए फरियादी सायत्रीबाई को स्वेच्छया कलाई पर मारकर उपहति कारित करना प्रमाणित नहीं पाया जाता है। अतः आरोपी मदनसिंह को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324 के अन्तर्गत अपराध कारित किया जाना संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाये जाने से संदेह का लाभ दिया जाकर आरोपी मदनसिंह भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324 के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त किया जाता है।

12— प्रकरण में आरोपी की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा-437(क)के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेंगे।

13— प्रकरण में आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रहा है। उक्त के संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-428 के प्रावधान अंतर्गत प्रमाणपत्र तैयार कर प्रकरण में संलग्न

किया जावे।

14— प्रकरण में जप्तशुदा एक लोहे की पट्टे की कुल्हाड़ी मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट की जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित
कर हस्ताक्षरित एवं दिनांकित
किया गया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया।

(श्रीष कैलाश शुक्ल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट

(श्रीष कैलाश शुक्ल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)